न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2025	दावा 53, व 188 RTA	08.01.2025	21.08.2025

1. मोहम्मद सलीम पुत्र गनी मोहम्मद जाति कसाई आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम घांघू तहसली व जिला चूरू (राज)

—वादीगण—

बनाम

1. मोहम्मद जामिर हुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति कसाई निवासी वार्ड नं 12 आथुणा मोहल्ला राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू (राज.)
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. उप पंजियन अधिकारी,उप पंजियन कार्यालय चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री बजरंग लाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी
2. अधिवक्ता श्री ललीत गोतम प्रतिवादी सं. 1

यह कि वादी का वाद पत्र नीम्नानुसार है—

1. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 को खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है. मैं से 1.0117 है. कृर्षि भूमि दिनांक 29.01.2021 को बिना किसी लोभ लालच में आये परिवार के सदस्य होने के नाते उपहार में दी थी तब से प्रतिवादी सं. 1 कृर्षि भूमि खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है. रोही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू मे 16/41 हिस्सा का खातेदार कश्तकार है एवं वादी उक्त खसरा की कृर्षि भूमि में 25/41 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यही वादगत कृर्षि भूमि है ताईद में जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित प्रति शामिल दावा पेश की जा रही है।
2. यह कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने वादत कृर्षि भूमि का बाहमी विभाजन मौके पर दिनांक 29.01.2021 को ही कर लिया था जिसके अनुसार वादगत कृर्षि भूमि के उतर पूर्वी तरफ की कोने की कृर्षि भूमि जो वादगत कृर्षि भूमिके पूर्व की तरफ से घांघा़ू से लाखाऊ को जाने वाली सड़क पर 169 फुट पूर्व से दक्षिण तरफ की हद तक की कृर्षि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा मं एवं शेष बची 169 फुट ... सड़क पर लगने वाली कृर्षि भूमि वादी के हक हिस्सा में करके पूरा ... लिया था एवं मौके पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 बाहमी विभाजन के अनुसार अपने हक हिस्सा की कृर्षि भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं अपने अपने हक हिस्सा में ... कृर्षि भूमि को काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3. यह कि वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी सं. 1 की ही चला आ रहा है मगर प्रतिवादी सं. 1 एक बदमाश व आवारा किस्म का व्यक्ति है जो वादगत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नही होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में लग गया है एवं भूमाफियों व गलत लोगो के बहकावे में आकर प्रतिवादी सं. 1 शक्ति के बल पर वादगत कृषि भूमि के विशिष्ट हिस्से को जो कि बाहमी विभाजन में वादी के हक हिस्सा में आया हुआ है को किसी अजनबी व बदमाश व्यक्तियों को बेचने की फिराक में लग गया है एवं इस बाबत वादी को एलानियां धमकी देकर ग्राहक भी ढूढ रहा है जिस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वादगत कृषि भूमि में निहित अपने हक हिस्सा की 25/41 हिस्सा की कृषि भूमि का बाहमी विभाजन के अनुसार अलग विभाजन करवाकर उसका अलग खाता व लगान कायम करवा लेवें इसलिए वादी द्वारा यह वाद पत्र विभाजन व चिरस्थाई विषेद्याज्ञा के अनुतोष के साथ पेश किया जा रहा है।

4. यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से बार बार निवेदन किया कि खेत खसरा सं. 629 रकबा 2.5925 है. रोही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू में अपने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन साथ चलकार करवा कर उसका अलग अलग खाता व लगान कायम रिंवा लेवें। मगर इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया और धमकी दे रहा है किवह बाहमी विभाजन में वादी के हक हिस्से में आई कृषि भूमि के विशिष्ट हिस्से को भूमाफियों के जरिये किसी बदमाश को विक्रय कर रहा है एवं इस बाबत ग्राहक भी तैयार कर रखे है। वदी द्वारा पता करवाने पर वादी को पता चला कि वास्तव में प्रतिवादी सं. 1 ने वादगत कृषि भूमि के बाहमी बंटवारे मे वादी के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि के विशिष्ट हिस्से को विक्रय करने के लिए एवं अन्य तरीके से खुर्द बुर्द करने के लिए ग्राहक तैयार कर रखे है इसलिए वादी के लिए अपने हितों की रक्षार्थ प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेद्याज्ञा पाबन्द करवा लेना आवश्यक है।

5. यह कि चिरस्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त रकने हेतु आवश्यक तीनो सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त वादी के हक में साबित सुदा है।

6. यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कहा व कहलवाया कि वह वादगत कृषि भूमि के खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है. रोही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू में बाहमी विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 25/41 हिस्सा विभाजन के अनुसार करवाकर उसका अलग अलग खाता व लगान कायम करवा देवें तो प्रतिवादीन सं. 1 पहले तो टालमटोल करता रहा एवं बाद में दिनांक 26.12.2024 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया, यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है एवं बिनाय दावा वादी को वादगत कृषि भूमि में अपना 25/41 हिस्सा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त में निहित होने से हरवक्त प्राप्त है।

7. यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादगत कृषि भूमि में खातेदार है एवं वादगत कृषि भूमि के विधिवत विभाजन के लिए प्रतिवादी सं. 1 वादी को स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया है जिस कारण उसे दावा हाजा में आवश्यक पक्ष[illegible]स्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघू तहसील व जिला चूरू के यहा वादी [illegible] कृषि भूमि में स्थित अपना हक हिस्सा रहन रखा हुआ होने से प्रति[illegible] बनाया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

8. यह कि प्रतिवादी सं. 3 उप पंजीयक चूरू के [illegible] विक्रय पत्र पंजीयन हेतु पेश किया जाना है इस कारण उन्हे तरबीबी फरीक बनाया गया है उनके विलाफ काई प्रभावी अनुतोष नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

चाहा गया है एवं प्रतिवादी सं. 4 राजस्थान सरकार भूमिधारी है जिनके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिवादी सं. 4 को तरतीबी फरीक अनाया गया है उनके खिलाफ काई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा गया है।

9. यह कि वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के क्षैत्रीय अधिकारिता में अवस्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के श्रवणधिकार व क्षैत्राध्किार का है दावा हाजा हर प्रकार से अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः दावा हाजा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी नीचे लिखे अनुसार डिक्रि फरमाया जावे—

(क) यह कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है. वाके राही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू में वादी का 25/41 हिस्सा बाहमी बंटवारे के अनुसाद विभाजन किया जाकर उसका अलग खाता व लगान कायम किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेद्याज्ञा वर्जित फरमाया जावे िकवह वादगत कृषि भूमि का जब तक विधिवत विभाजन होकर वादी का अलग खाता व लगान कायम न हो जावे तब तक प्रतिवादी सं. 1 वादगत कृषि भूमि का हस्तान्तरण,बैय रहन किसी अन्य व्यक्ति को ना करे तथा ना ही ऐसा काई कार्य करे जिससे वादी के हक, हकूक पर काई वितरीत प्रभाव पड़ता हो।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य हर न्यायोचित अनुतोष जो हिकर वादी हो या दौराने वाद हो जाये वो भी वादी को प्रतिवादी सं.1 से दिलाया जावे।

वादी कि ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया जिसपर विधिवत तामील होने के बावजुद प्रतिवादी सं. 2 कोई उपस्थीत नही आया इस लिए प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही कि गई। वादी सं. 1 कि ओर से अधिवक्ता ललीत गोतम ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी सं. 1 कि ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि जाकर निवेदन किया गया की वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है रोही ग्राम घांघा तहसील व जिला चूरू में वादी अपने दर्ज खातेदारी हिस्सा 25/41 का विभाजन करवाना चाहता है प्रतिवादी इसमें अपनी सहमती देता है इस कारण वादी का वाद विभाजन की प्रार्थमीक डिक्रि किया जावे प्राथमीक डिक्रि राजस्व मण्डल के नियमानुसार पारित कर दी जावे जिसमें प्रतिवादी को काई आपती नही है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है इस लिए तनकी व साक्ष्य की कोई आवश्यकता नही होने से पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।

वादी मोहम्मद सलीम द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है कि उसने अपनी खातेदारी कृषि भूमि, जो कि खेत खसरा संख्या 629, रकबा 2.5925 हैक्टेयर, रोही, ग्राम घांघू, तहसील व जिला चूरू में स्थित है, में से 1.0117 है[illegible] दिनांक 29.01.2021 को प्रतिवादी सं. 1 (अपने परिवार के सदस्य) को [illegible] दोनों पक्षों द्वारा मौके पर आपसी सहमति से उक्त भूमि का बा[illegible] कर लिया गया था। वर्तमान में वादी का उक्त भूमि में 25/41 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 16/41 हिस्सा है। वादी का आरोप है कि प्रतिवादी सं. 1, जो कि स्वभाव से अवांछनीय एवं विवादप्रिय है, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन न होने का अनुचित लाभ उठाते हुए भूमि के उस हिस्से को जो वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चूरू

हिस्से में आता है, अवैध रूप से बेचने की फिराक में है। इस कारण वादी ने यह वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया है। वाद के प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 की ओर से विधिवत वकालतनामा पेश किया गया तथा लिखित में यह सहमति प्रदान की गई कि वह वादी के खातेदारी हिस्से 25/41 के विभाजन में कोई आपत्ति नहीं रखता एवं उसे विभाजित कर पृथक खाता कायम करवा सकता है। प्रतिवादी सं. 2, 3 एवं 4 औपचारिक पक्षकार हैं, इनके विरुद्ध कोई विशेष राहत नहीं चाही गई है।

वादपत्र, दस्तावेजी साक्ष्य, प्रतिवादी की सहमति, एवं अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है वादी का 25/41 हिस्सा खातेदारी रूप से प्रमाणित है। वादी अपने खातेदारी हिस्से का विभाजन करवाने का अधिकारी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर वादगत कृर्षि भूमि खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है. वाके राही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू में वादी का 25/41 हिस्सा का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर वादी के हिस्से की भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। जिस खातेदार की भूमि रहन है वह यथावत रहन रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री बिजेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. मोहम्मद सलीम पुत्र गनी मोहम्मद जाति कसाई आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम घांघू तहसली व जिला चूरू (राज)

–वादी–

बनाम

1. मोहम्मद जामिर हुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति कसाई निवासी वार्ड नं 12 आथुणा मोहल्ला राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू (राज.)
2. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. उप पंजियन अधिकारी,उप पंजियन कार्यालय चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 02 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब अधिवक्ता श्री ललित गौतम प्रतिवादी संख्या मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर वादगत कृर्षि भूमि खेत खसरा नं. 629 रकबा 2.5925 है. वाके राही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू में वादी का 25/41 हिस्सा का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरू को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर वादी के हिस्से की भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें।जिस खातेदार की भूमि बैंक के रहन है वह यथावत रहन रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह अगस्त सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

बिजेन्द्र सिंह R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

1. मोहम्मद सलीम पुत्र गनी मोहम्मद जाति कसाई आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम घांघू तहसली व जिला चूरू (राज)

--वादीगण--

<u>बनाम</u>

1. मोहम्मद जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाति कसाई निवासी वार्ड नं 12 आथुणा मोहल्ला राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू (राज.)
2. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. उप पंजियन अधिकारी,उप पंजियन कार्यालय चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

--प्रतिवादीगण--

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 आर.टी.ए.</u>

मुकदमा नं. 02 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पंकज कुमार एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री ललीत गौतम एडवोकेट प्रतिवादी मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:--

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.08.2025 पर वकील वादी व प्रतिवादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 629 रोही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग--अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:--

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1	मोहम्मद सलीम पुत्र गन्नी मोहम्मद जाती कसाई निवासी घांघू राहिम बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा घांघू खातेदार	629 मिं.	1.5808	बरानी
2	मोहम्मद जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम जाती कसाई निवासी राजगढ खातेदार	629 मि.	1.0117	बारानी

तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार एवं विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.08.2025 के संलग्न नक्शानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना--अपना वहन करें। जिनका हिस्सा बैंक के रहन है वह यथावत रहन रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04 माह सितम्बर सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:35:14 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू